भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-58
उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

सरकारी विश्वविद्यालयों में भर्ती के लिए एकीकृत पोर्टल

†**58. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शुरू किया गया 'एकीकृत पोर्टल' शिक्षकों की भर्ती में तेजी लाने में सफल रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या पोर्टल यह भी ट्रैक करता है कि आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है या नहीं और यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जो आरक्षित पदों को भरने में विफल रहे हैं या अपनी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नीति का पालन नहीं कर रहे हैं; और
(घ) ऐसे विश्वविद्यालयों के खिलाफ यूजीसी द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(**डॉ. सुकान्त मजूमदार**)

(क) से (घ): जी, हाँ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय भर्ती के लिए एक साझा मंच प्रदान करने हेतु दिनांक 02.05.2023 को एक एकीकृत भर्ती पोर्टल अर्थात सीयू- चयन शुरू किया है। यह पोर्टल आवेदन से लेकर स्क्रीनिंग तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन बनाता है। पोर्टल की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1) किसी भी/सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आवेदन करने के लिए एकल आवेदक लॉगिन।
2) आवेदन की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग।
3) प्रत्येक आवेदक के लिए व्यक्तिगत डैशबोर्ड।
4) प्रत्येक विश्वविद्यालय/विभाग के लिए एडमिन डैशबोर्ड।
5) अंतर्निहित ईमेल संचार उपकरण।

6) रेफरी से आवेदकों के लिए ऑनलाइन फीडबैक/संदर्भ।
7) वास्तविक समय विश्लेषण और आवेदन संबंधी जानकारी।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भर्तियाँ भारत सरकार की आरक्षण नीतियों के अनुसार की जाती हैं। सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 20(1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निदेश दिया है। तदनुसार, यूजीसी नियमित रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन करने के लिए निदेश/निर्देश जारी करता है।

*****